



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

29 ज्येष्ठ 1940 (श10)

(सं0 पटना 583) पटना, मंगलवार 19 जून 2018

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

19 जून 2018

एस०ओ० 188, दिनांक 19 जून 2018—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं यथा :--

1. (1) यह नियमावली बिहार माल और सेवा कर (छठा संशोधन) नियमावली, 2018 कही जा सकेगी।

(2) इन नियमों में जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय, ये दिनांक 19 जून, 2018 के प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

2. बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 में,--

(i) नियम 58 के उपनियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम (1क) अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा :--

“(1क) इन नियमों के अध्याय 16 के प्रयोजनों के लिए, एक ही स्थायी खाता संख्या वाला कोई ऐसा परिवारिक, जो एक से अधिक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में रजिस्ट्रीकृत है, अपनी किसी एक माल और सेवा कर पहचान संख्यांक का उपयोग करके प्ररूप जीएसटी ईएनआर-02 में ब्यौरे देते हुए विशिष्ट सामान्य नामांकन संख्यांक के लिए आवेदन कर सकेगा और दिए गए ब्यौरों का विधिमान्यकरण होने पर, विशिष्ट सामान्य नामांकन संख्यांक बनाया जाएगा और उसे उक्त परिवारिक को संसूचित किया जाएगा :

परंतु जहां उक्त परिवाहक ने विशिष्ट सामान्य नामांकन संख्यांक प्राप्त कर लिया है, वहां वह उक्त अध्याय 16 के प्रयोजनों के लिए किसी भी माल और सेवा कर पहचान संख्यांक के उपयोग का हकदार नहीं होगा।”;

(ii) नियम 138ग के उपनियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा :--

“परंतु जहां परिस्थितियां ऐसा अपेक्षित करें, वहां आयुक्त, या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, दर्शित किए गए पर्याप्त कारणों के आधार पर, प्ररूप ईडब्ल्यूबी-03 के भाग ख में अंतिम रिपोर्ट अभिलिखित करने के समय को, तीन दिन से अनधिक की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ा सकेगा।

स्पष्टीकरण—यथास्थिति, चौबीस घंटे या तीन दिन की अवधि की संगणना उस तारीख की मध्यरात्रि से की जाएगी, जिस तिथि को यान बीच में रोका गया था।”;

(iii) नियम 142 के उपनियम (5) में, “धारा 76 की उपधारा (3)” शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के पश्चात्, “या धारा 129 या धारा 130” शब्द और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(iv) प्ररूप जीएसटी ईएनआर-01 के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप जीएसटी ईएनआर-02 अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा :--

“प्ररूप जीएसटी ईएनआर-02

[नियम 58(1क) देखिए]

विशिष्ट सामान्य नामांकन संख्यांक अभिप्राप्त करने के लिए आवेदन

[एक ही स्थायी खाता संख्या वाले केवल ऐसे परिवाहक के लिए, जो एक से अधिक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में रजिस्ट्रीकृत हैं]

1.	(क) विधिक नाम	
	(ख) स्थायी खाता संख्या	

2. एक ही स्थायी खाता संख्या वाले के रजिस्ट्रीकरण के ब्यौरे

क्रम सं०	माल और सेवा कर पहचान संख्यांक	व्यापार का नाम	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र

3. सत्यापन

मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं और घोषित करता हूं कि इसमें ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सत्य और सही है और उसमें से कोई बात छिपाई नहीं गई है।

हस्ताक्षर

स्थान :

तारीख

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम

पद/प्रास्थिति

कार्यालय उपयोग के लिए—

नामांकन संख्या --

तारीख --।”

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-2)-1777)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

एस० सिद्धार्थ,

सरकार के प्रधान सचिव।

19 जून 2018

एस०ओ० 188, दिनांक 19 जून 2018 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-2)-1777)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

एस० सिद्धार्थ,

सरकार के प्रधान सचिव।

The 19th June 2018

S.O. 188 dated the 19th June 2018---In exercise of the powers conferred by section 164 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), Governor of Bihar, hereby makes the following rules to further amend the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:-

(1) These rules may be called the Bihar Goods and Services Tax (Sixth Amendment) Rules, 2018.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force with effect from 19th June, 2018.

2. In the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017, -

(i) in rule 58, after sub-rule (1), the following sub-rule (1A) shall be inserted, namely:-

“(1A) For the purposes of Chapter XVI of these rules, a transporter, who is registered in more than one State or Union Territory having the same Permanent Account Number, he may apply for a unique common enrolment number by submitting the details in **FORM GST ENR-02** using any one of his Goods and Services Tax Identification Numbers, and upon validation of the details furnished, a unique common enrolment number shall be generated and communicated to the said transporter:

Provided that where the said transporter has obtained a unique common enrolment number, he shall not be eligible to use any of the Goods and Services Tax Identification Numbers for the purposes of the said Chapter XVI.”;

(ii) in rule 138C, after sub-rule (1), the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided that where the circumstances so warrant, the Commissioner, or any other officer authorised by him, may, on sufficient cause being shown, extend the time for recording of the final report in Part B of **FORM EWB-03**, for a further period not exceeding three days.

Explanation.- The period of twenty four hours or, as the case may be, three days shall be counted from the midnight of the date on which date the vehicle was intercepted.”;

(iii) in rule 142, in sub-rule (5), after the words and figures “sub section (3) of section 76”, the words and figures “or section 129 or section 130” shall be inserted;

(iv) after **FORM GST ENR-01**, the following **FORM GST ENR-02** shall be inserted, namely:-

“FORM GST ENR-02*[See Rule 58(1A)]***Application for obtaining unique common enrolment number***[Only for transporters registered in more than one State or Union Territory having the same PAN]*

1.	(a) Legal name	
	(b) PAN	

2.Details of registrations having the same PAN

Sl. No	GSTIN	Trade Name	State/UT

3.Verification

I hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.

Signature

Place

Name of Authorised Signatory

.....

Date:

Designation/Status.....

For office use –

Enrolment no.-

Date -.”

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-2)-1777)]

By the order of Governor of Bihar,

S. SIDDHARTH,

Principal Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 583-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>